कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रा गाँधी सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग,, जयपुर– 302004

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–8/2024/डी– 947 दिनांकः 18/6/2024

सत्यम कन्स्ट्रक्शन जरिये प्रो0 श्री गिरधारी डुकिया
पुत्र श्री बालूराम डुकिया
पंजीकृत कार्यालय–शॉप नं.–4,
जय भवानी विहार विस्तार, गोविन्दपुरा,
कालवाड़, रोड़, जयपुर। ।

विषयः– ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 633/627, 635/630 क्षेत्रफल 801.34 वर्ग मीटर के आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संदर्भः– आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2024 के क्रम में ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 633/627, 635/630 क्षेत्रफल 801.34 वर्ग मीटर के आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें बैसमेन्ट +स्टिल्ट + ग्राउण्ड तल + 05 तल (उॅचाई 3.30 मी. स्टिल्ट + 18.0 मीटर) अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिए गये निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

1. भवन निर्माण अवधि लीजडीड जारी दिनांक से 03 वर्ष अर्थात दिनांक 10.12.2026 रहेगी।
2. यह भवन अनुज्ञा जारी लीजडीड से 07 वर्ष रहेगी।
3. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
4. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चितता कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.5 के अनुसार सौर उर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
8. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
9. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन–8) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
11. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन–8) को दी जानी होगी। यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
12. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
13. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
14. पर्यावरण वृक्षारोपण हेतु भवन विनियम प्रावधान 10.11.3 की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
15. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चितता की जानी होगी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
16. बीपीसी–बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा।
17. मानचित्र में निःशक्तजनों हेतु पार्किंग, टॉयलेट एवं रेम्प का प्रावधान भवन विनिमय 2020 के अनुसार रखा जाना होगा।
18. भवन में RPWD Act 2016 एवं UNCRPD Act 2006 तथा प्रचलित भवन विनियम में विर्निदिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिये आवश्यक मापदण्ड/सुविधाऐं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता की जानी होगी।
19. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ARD (automatic rescue device) का प्रावधान रखा जाना होगा।

(21)

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

20. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.10.2022 के क्रम में EV Parking का प्रावधान रखा जाना होगा।
21. प्रकरण में टेरिस पर प्राईवेट टेरिस प्रस्तावित है। अतः छत पर ममटी, लिफ्ट रूम, वॉटर टेंक, सोलर पैनल आदि के पश्चात् कुल उपयोग योग्य टेरिस क्षेत्रफल का न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्र कॉमन टेरिस हेतु आरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।
22. प्रकरण में बैसमेन्ट में क्लब हाउस एवं जिम प्रस्तावित की गई है। जिसको बी.ए.आर. में जोड़ते हुये क्षेत्रफल गणना की गई है। अतः उक्त क्षेत्र का उपयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि हेतु नहीं दिया जायेगा।
23. दरवाजे एवं खिड़कियॉ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
24. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय फ्लैट्स) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
25. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
26. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
27. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लैट्सों की संख्या के साथ सम्बन्धित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
28. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चितता की जानी होगी।
29. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
30. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवता की समय–समय पर जॉच की जायें।
31. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
32. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
33. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें, जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा का निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
34. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
35. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
36. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावें, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
37. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
38. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

500 व.मी. से बडे आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक भूखण्डो मे मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी उक्त प्रकरणो के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानिय दैनिक समाचार पत्रो मे स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह मे प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नही माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व संबंधि अधिकार ही प्रभावित होगे। नीचे किये गये भवन निर्माण की संरचना का दायित्व प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकंलाग व्यक्तियो के लिये प्रस्तावित भवन मे विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशो के अनुसार भू–जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक........ को रखा जाकर........ भू–उपयोग के भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/उपा/जोन–8/2024/डी. 947 दिनांक 18-6-24 को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

SHEET NO. - 1

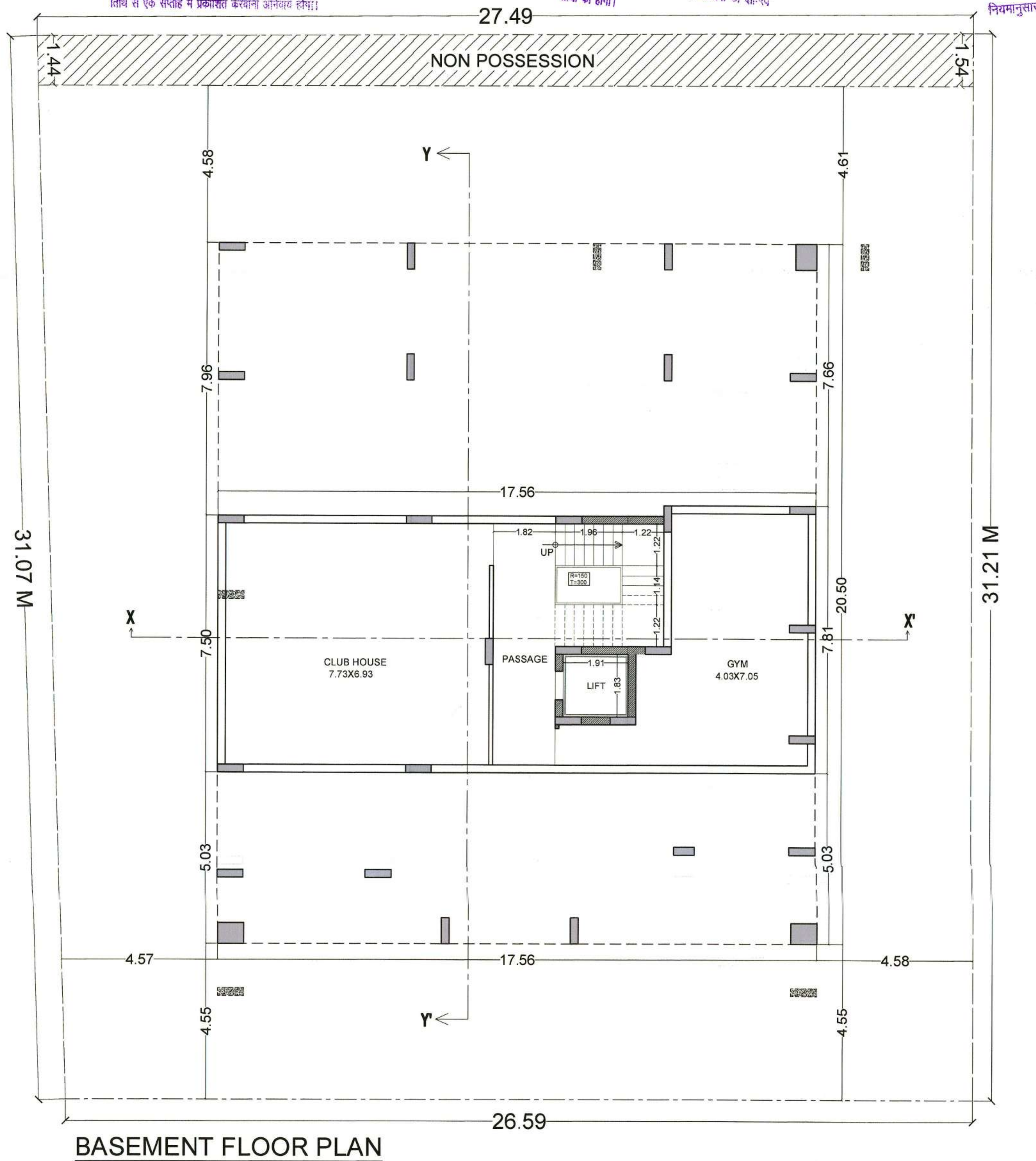

BASEMENT FLOOR PLAN

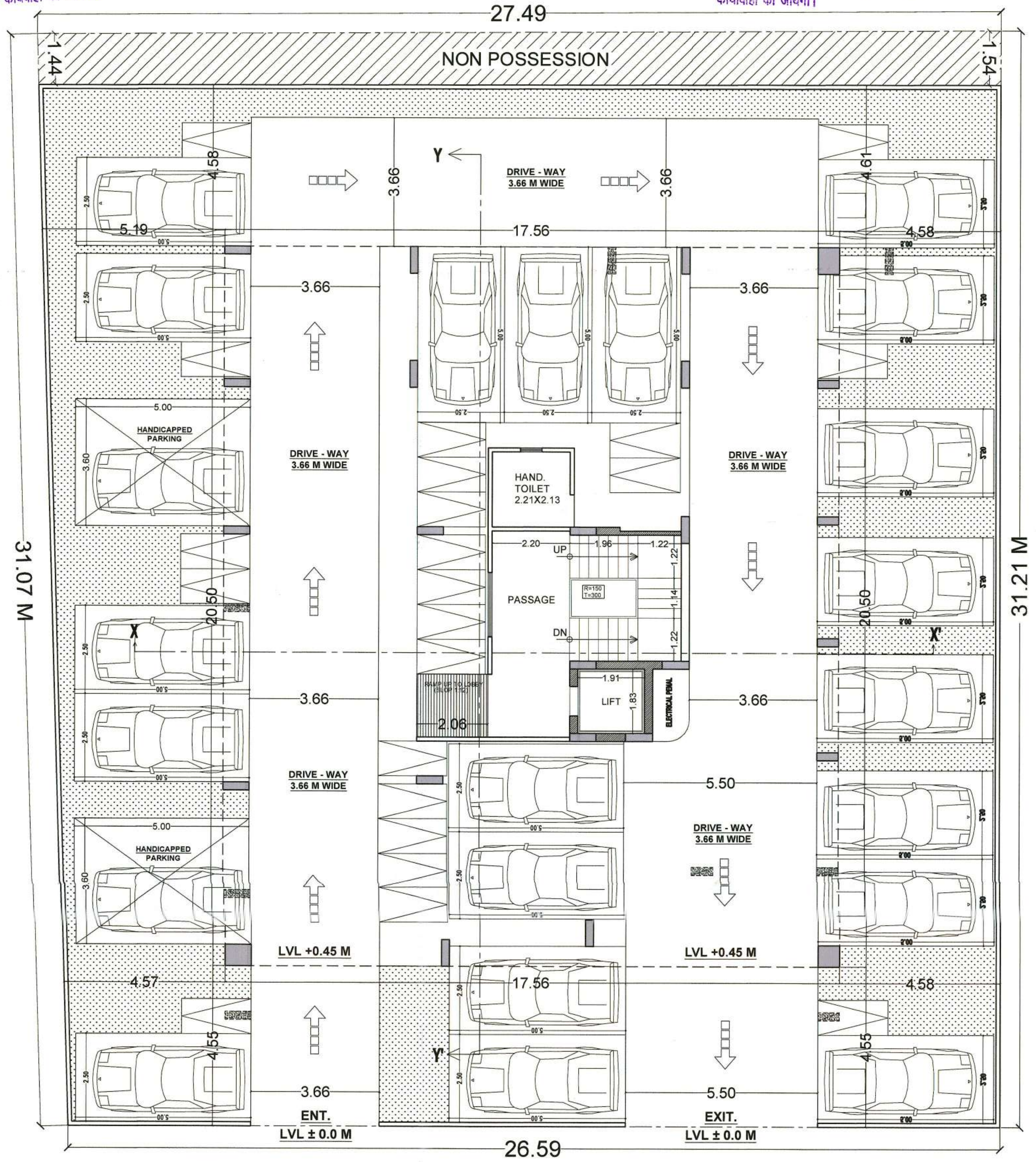

STILT FLOOR PLAN

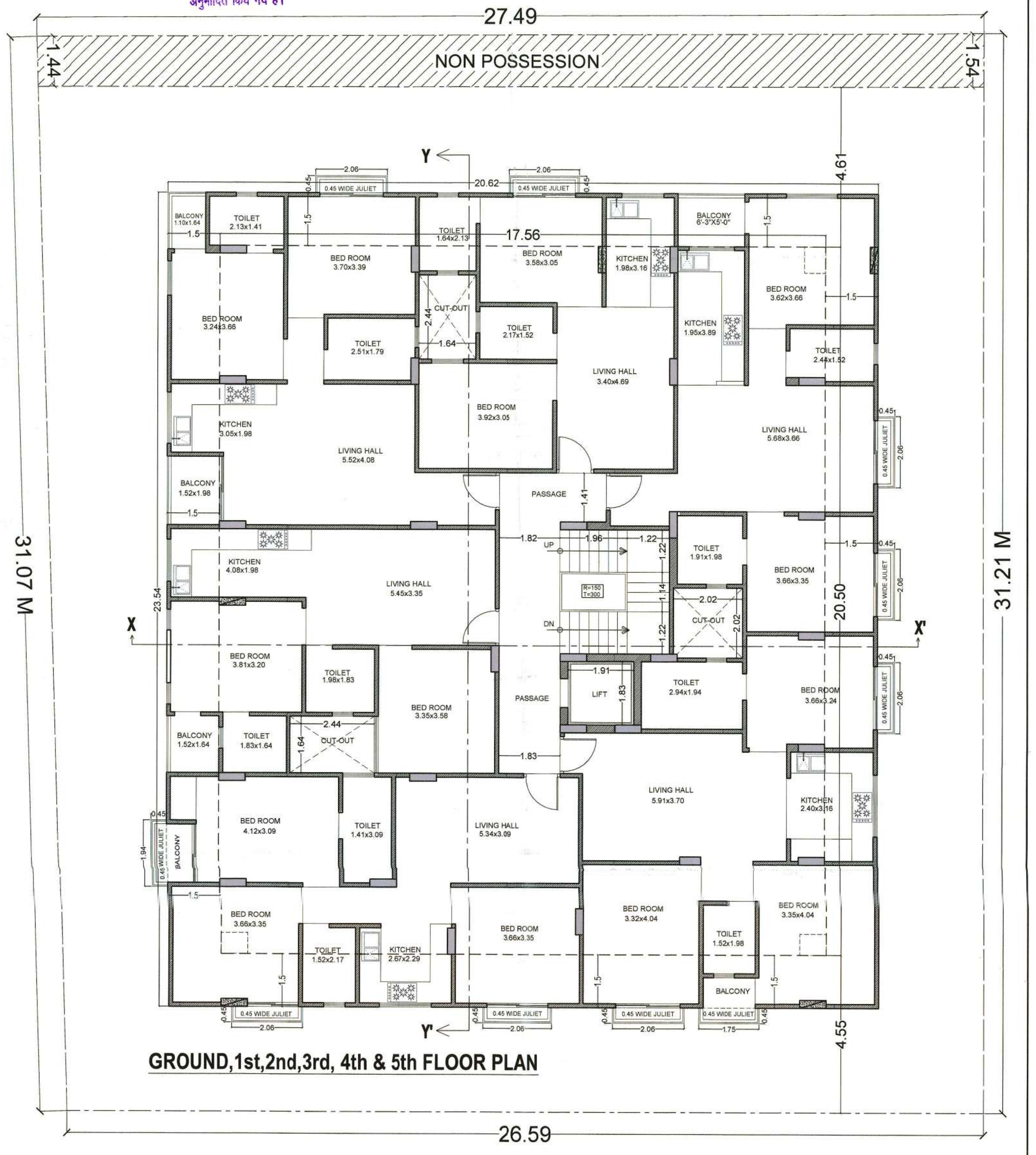

GROUND,1st,2nd,3rd, 4th & 5th FLOOR PLAN

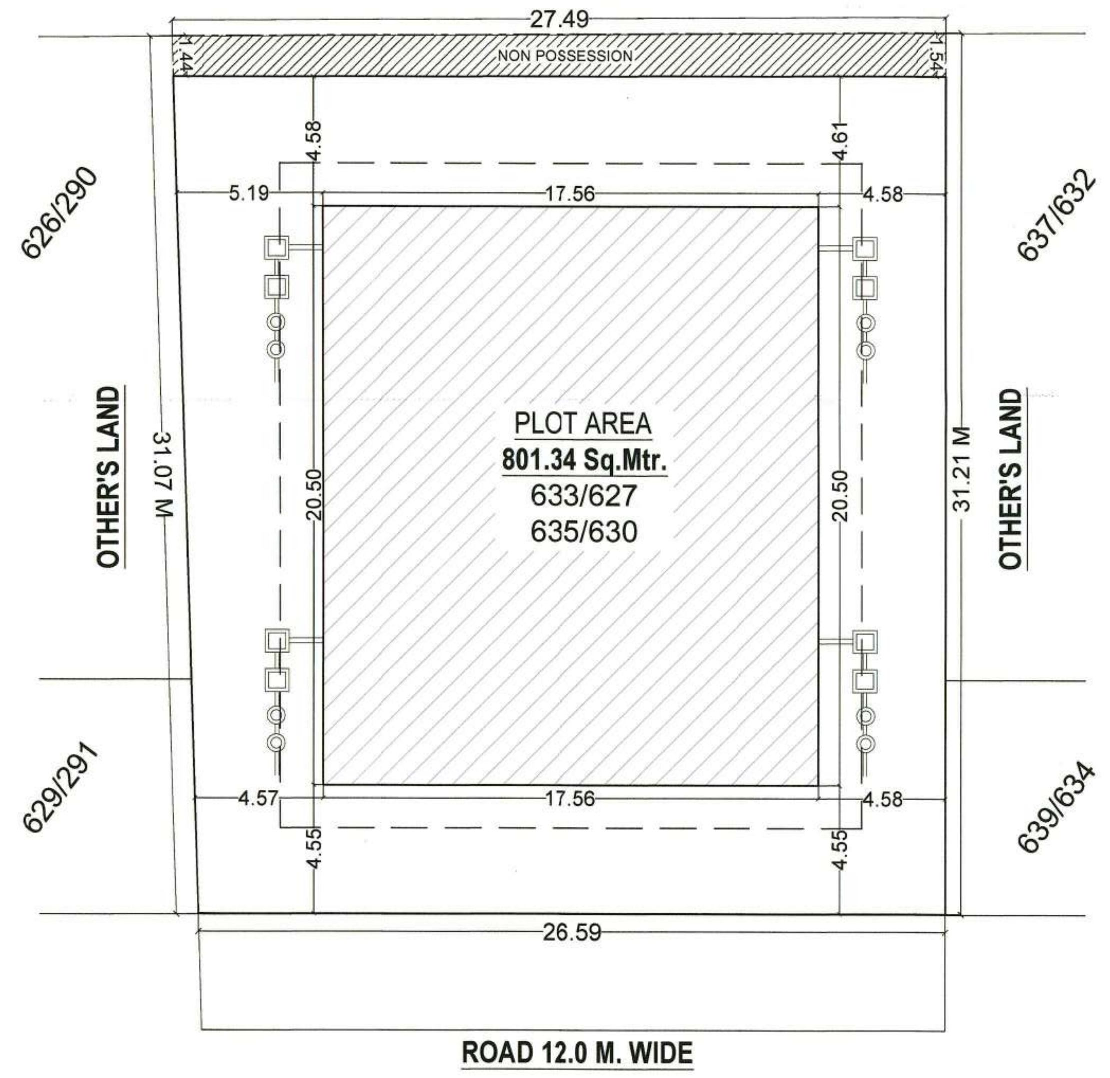

SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN
(SCALE - 1:200)

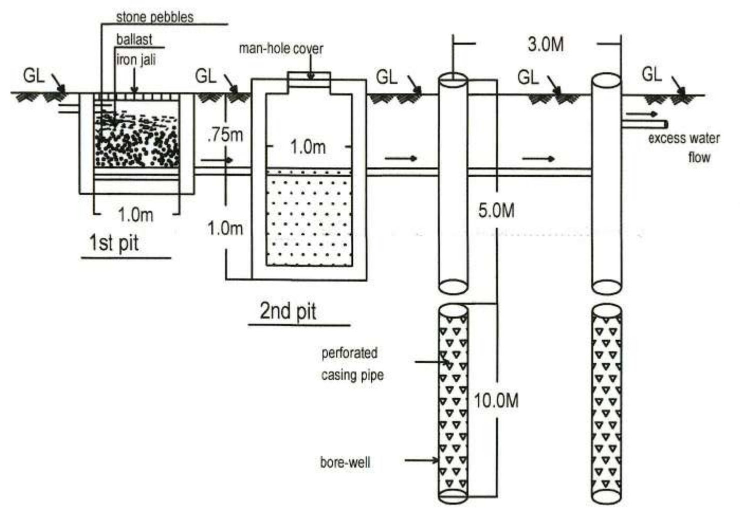

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

AREA STATEMENT				
S.No.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA	CUTOUT AREA(LIFT+SHAFT)	BUILT UP AREA (B.A.R.)
		A	B	C
1	BASEMENT FLOOR	133.19	3.49	129.70
2	STILT FLOOR	360.00	3.49	4.70 (HAND.TOILET)
3	GROUND FLOOR	495.00	15.55	479.45
4	FIRST FLOOR	495.00	15.55	479.45
5	SECOND FLOOR	495.00	15.55	479.45
6	THIRD FLOOR	495.00	15.55	479.45
7	FOURTH FLOOR	495.00	15.55	479.45
8	FIFTH FLOOR	495.00	15.55	479.45
9	TERRACE FLOOR	29.70		——
	TOTAL	3492.89	100.28	3011.10

B.A.R. CALCULATION:

PERMISSIBLE B.A.R. = PLOT AREA x B.A.R.
= 801.34 x 2.0
= 1602.68 B.A.R.
= 1602.68 SQ.M.

PROPOSED BUILT UP AREA COUNTABLE UNDER B.A.R.
= 3011.10 SQ.M. BUILT UP AREA

PURCHASABLE B.A.R.=
= PROPOSED B.A.R. - PERMISSIBLE B.A.R.
= 3011.10 - 1602.68
= 1408.42 SQ.M.

S.NO.	REFERENCE	
1	TOTAL PLOT AREA = 801.34 SQ.M.	
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS	
3	PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = STILT (3.30 M.) +18.0 M	
4	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) = 80.13 SQ.M.	
5	PROPOSED LANDSCAPE AREA = 80.04 SQ.M.	
6	REQ. PARKING	
	RESIDENTIAL	1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA = 3011.10 / 115 = 26.18 ECU + 10% VISITORS = 28.80 ECU (75% CAR, 25% SCOOTER) 75% ~ 21.60 ECU ~ 22 CARS 25% ~ 7.20 ECU x 3 ~ 22 SCOOTERS
	TOTAL REQUIRED	= 22 CAR = 22 SCOOTERS
7	PROVIDED PARKING	
	CARS = 22 CARS SCOOTERS = 22 SCOOTERS	

अनुमोदित
पेड लगाओ–हरियाली बढाओ।

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PROJECT:-	SCALE:-	1:100	NORTH:-	ARCHITECT:-	OWNER:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO.- 633/627 & 635/630, VILLAGE - GANPATPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR	DATE:-	16-04-2024	N W E S	space edge Architects B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603, 0141-4062903 KUMAR ARCHITECT CA/2003/29400	For SATYAM CONSTRUCTION PROPRIETOR

SHEET NO. - 2

500 व.मी. से बडे आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डो मे मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी उक्त प्रकरणो के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो मे स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह मे प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नही माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व संबंधि अधिकार ही प्राप्त होगे। नीचे किये गये भवन निर्माण की संरचना का दायित्व प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकंलाग व्यक्तियो के लिये प्रस्तावित भवन मे विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशो के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.......... को रखा जाकर.......................... भू-उपयोग के भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/उपा/जोन-8/2024/डी 947 दिनांक 18/4/24 को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

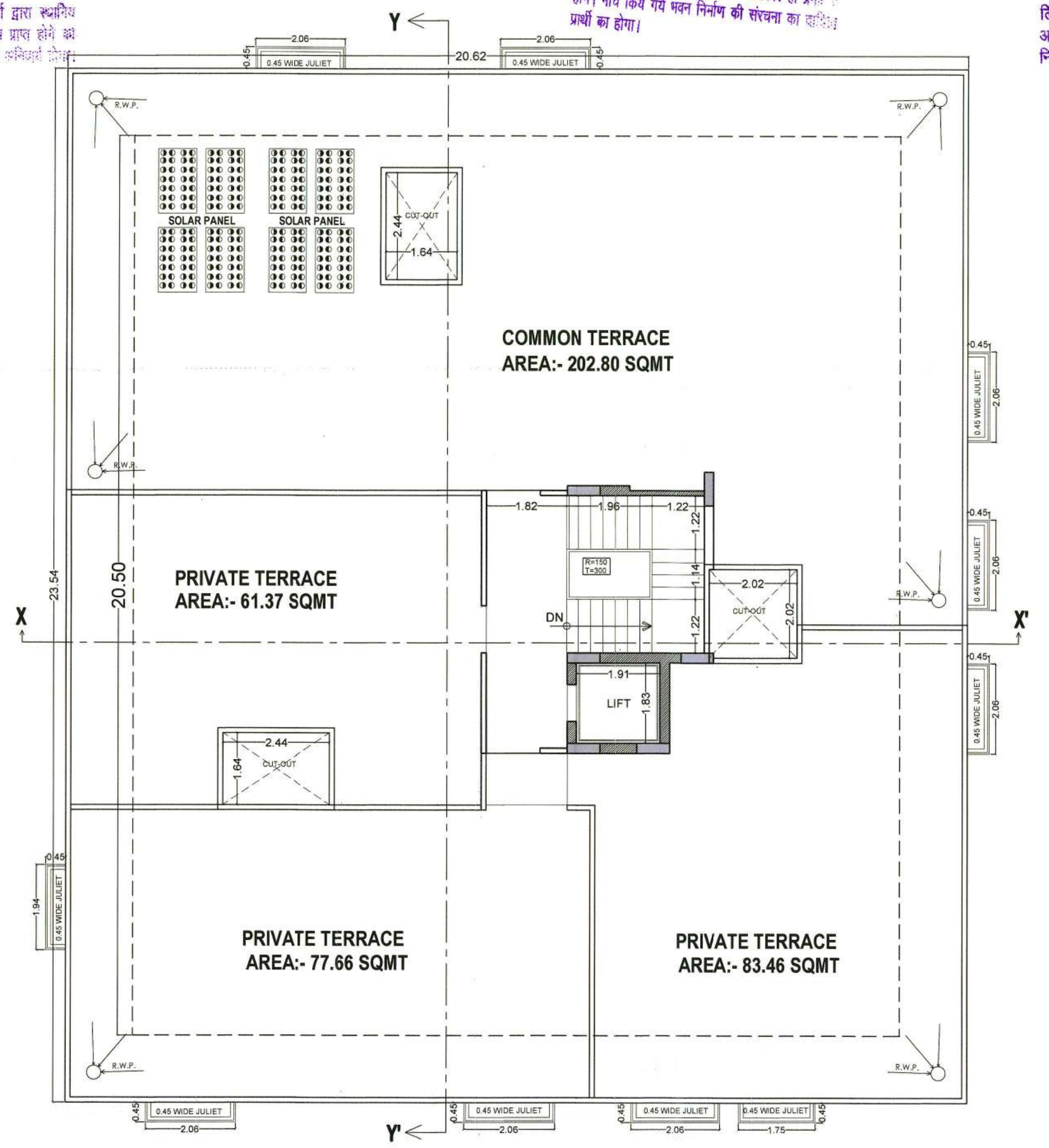

TERRACE FLOOR PLAN

TOTAL TERRACE:- 433.33 SQMT
PRIVATE TERRACE :- 222.49 SQMT
COMMON TERRACE:- 210.84 SQMT(48.65%)

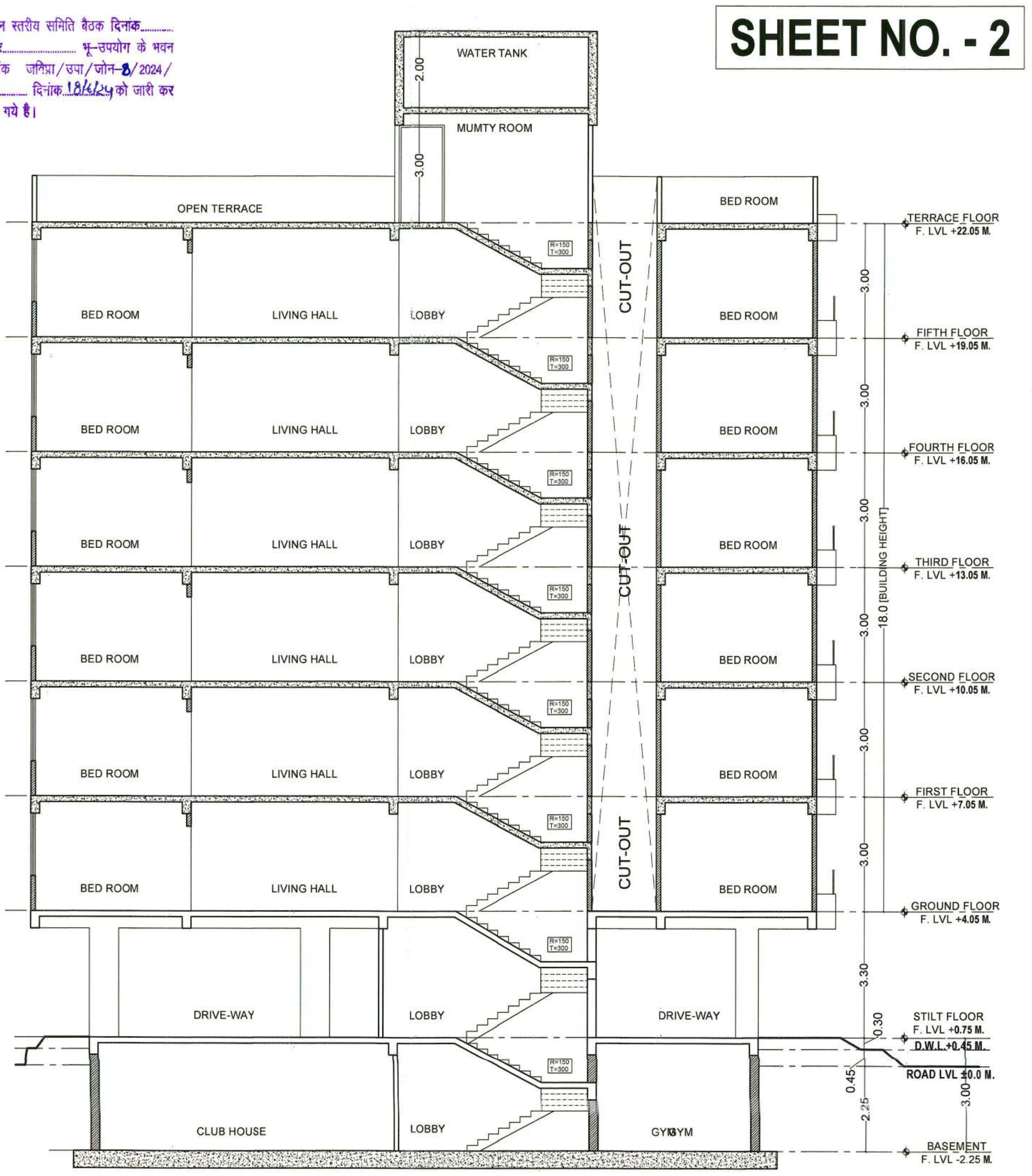

SECTION AT (X-X')

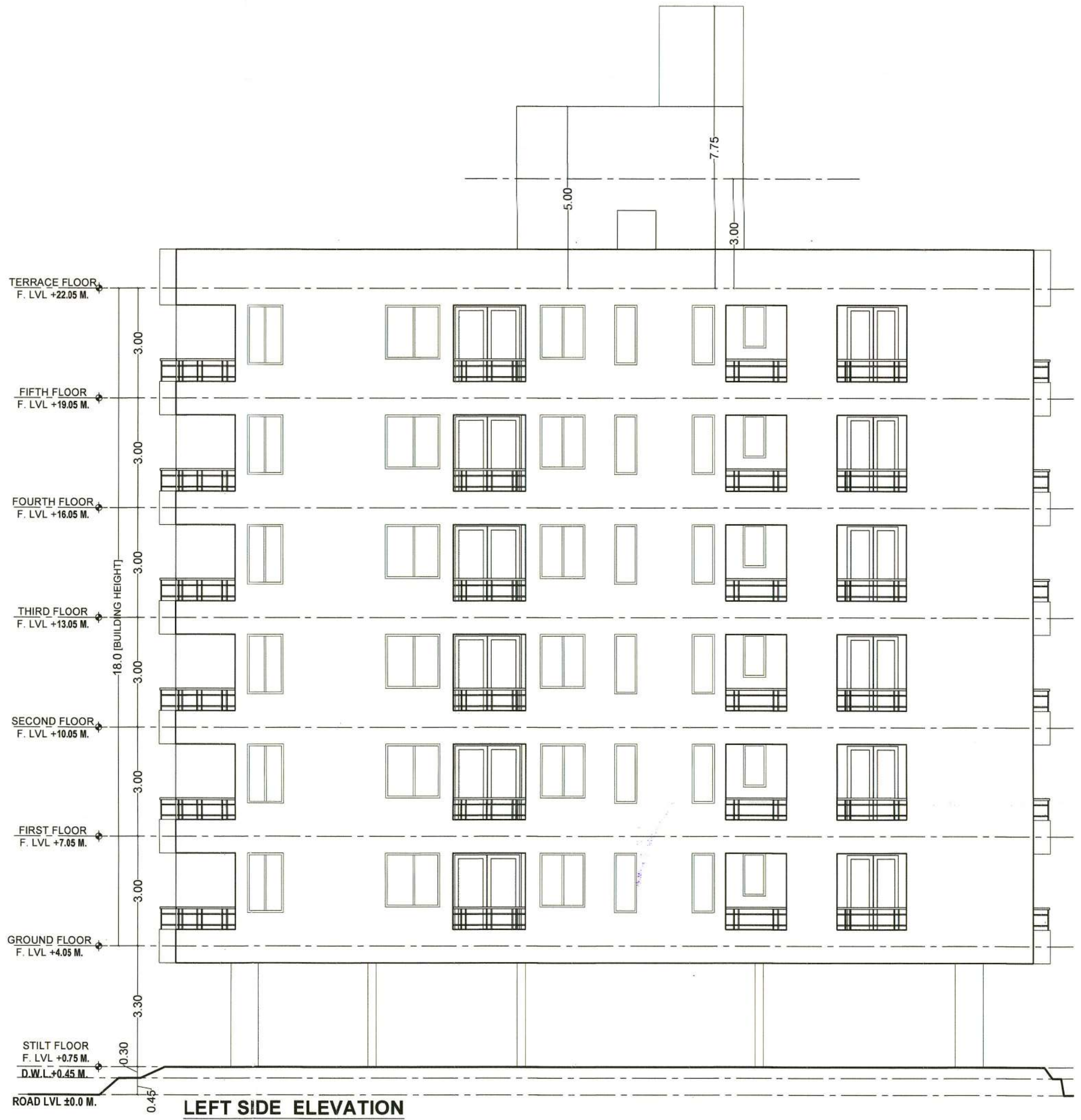

LEFT SIDE ELEVATION

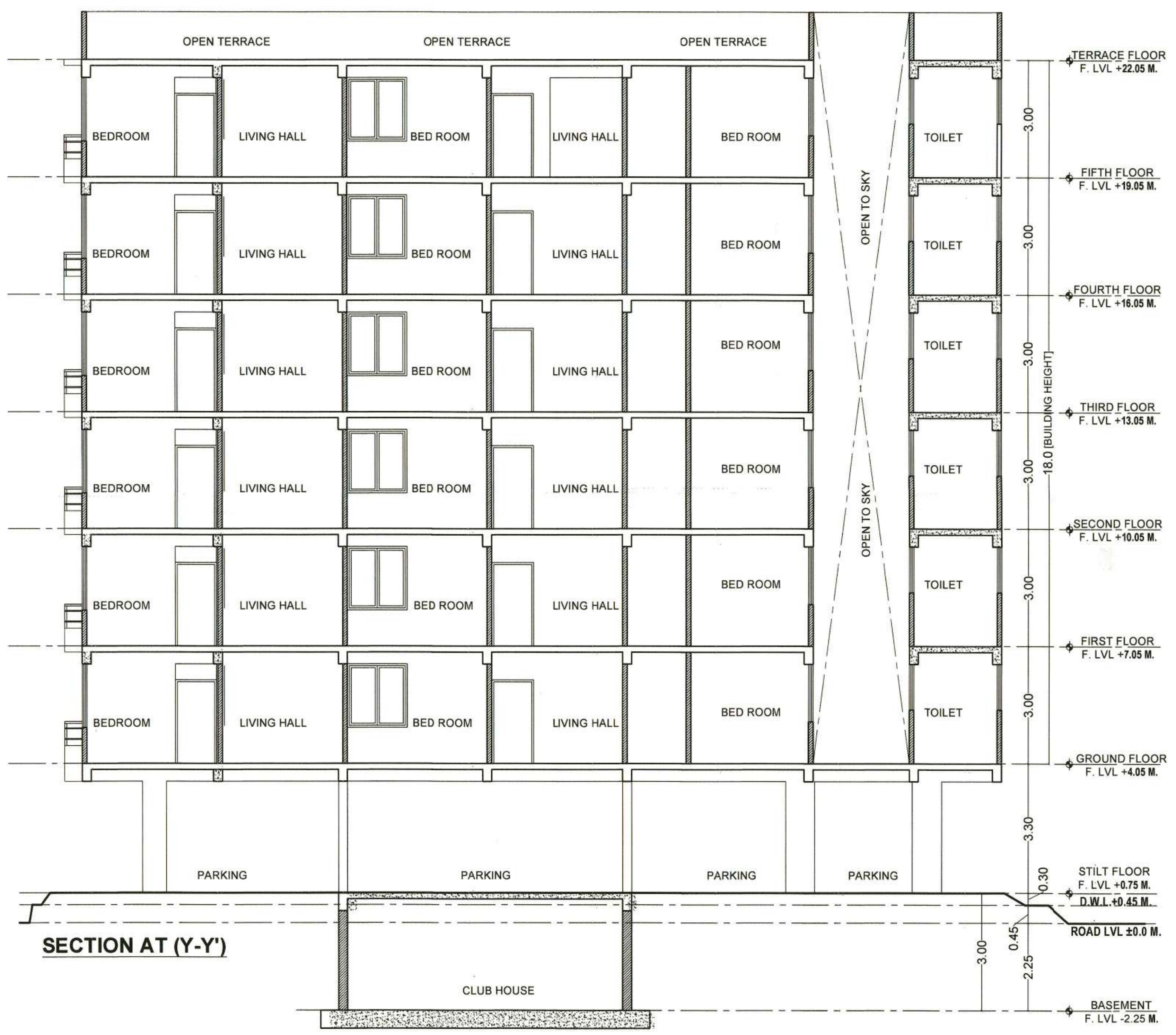

SECTION AT (Y-Y')

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढाओ।

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PROJECT:-	SCALE:-	1:100	NORTH:-	ARCHITECT:-	OWNER:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO.- 633/627 & 635/630, VILLAGE - GANPATPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR	DATE:-	16-04-2024	N / W E / S	space edge Architects B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603, 0141-4062903 KUMAWAT S. KUMAR ARCHITECT CA/2000/26400	For SATYAM CONSTRUCTION PROPRIETOR

500 व.मी. से बडे आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डो मे मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ prominently display की जायेगी उक्त प्रकरणो के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो मे स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह मे प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो के लिये प्रस्तावित भवन मे विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नही माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व संबंधि अधिकार ही प्रमाणित होगे। नीचे किये गये भवन निर्माण की संरचना का दायित्व प्रार्थी का होगा।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.......... को रखा जाकर.................... भू-उपयोग के भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/उपा/जोन-8/2024/डी. 947 दिनांक 18/6/24 को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

SHEET NO. - 3

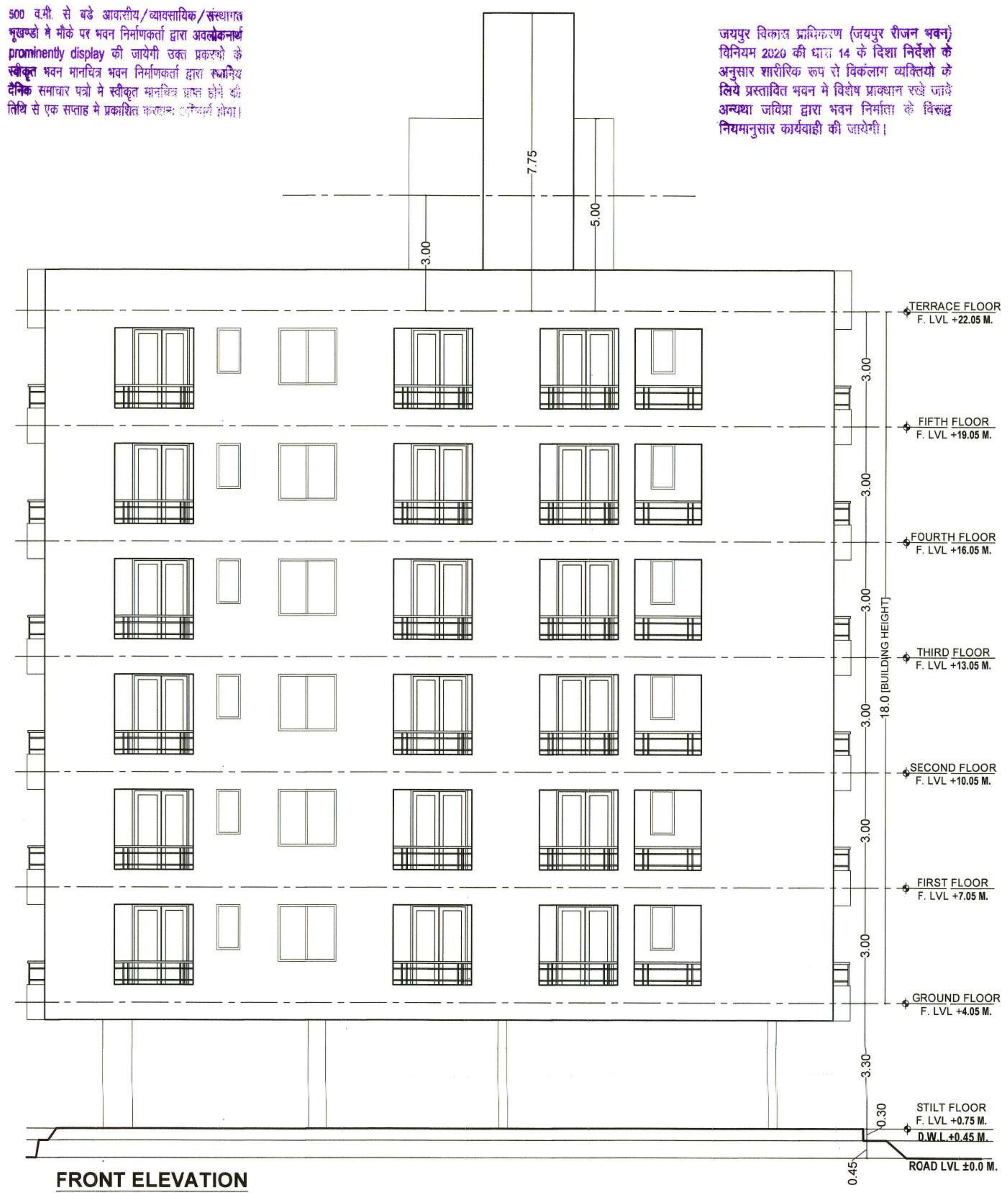

FRONT ELEVATION

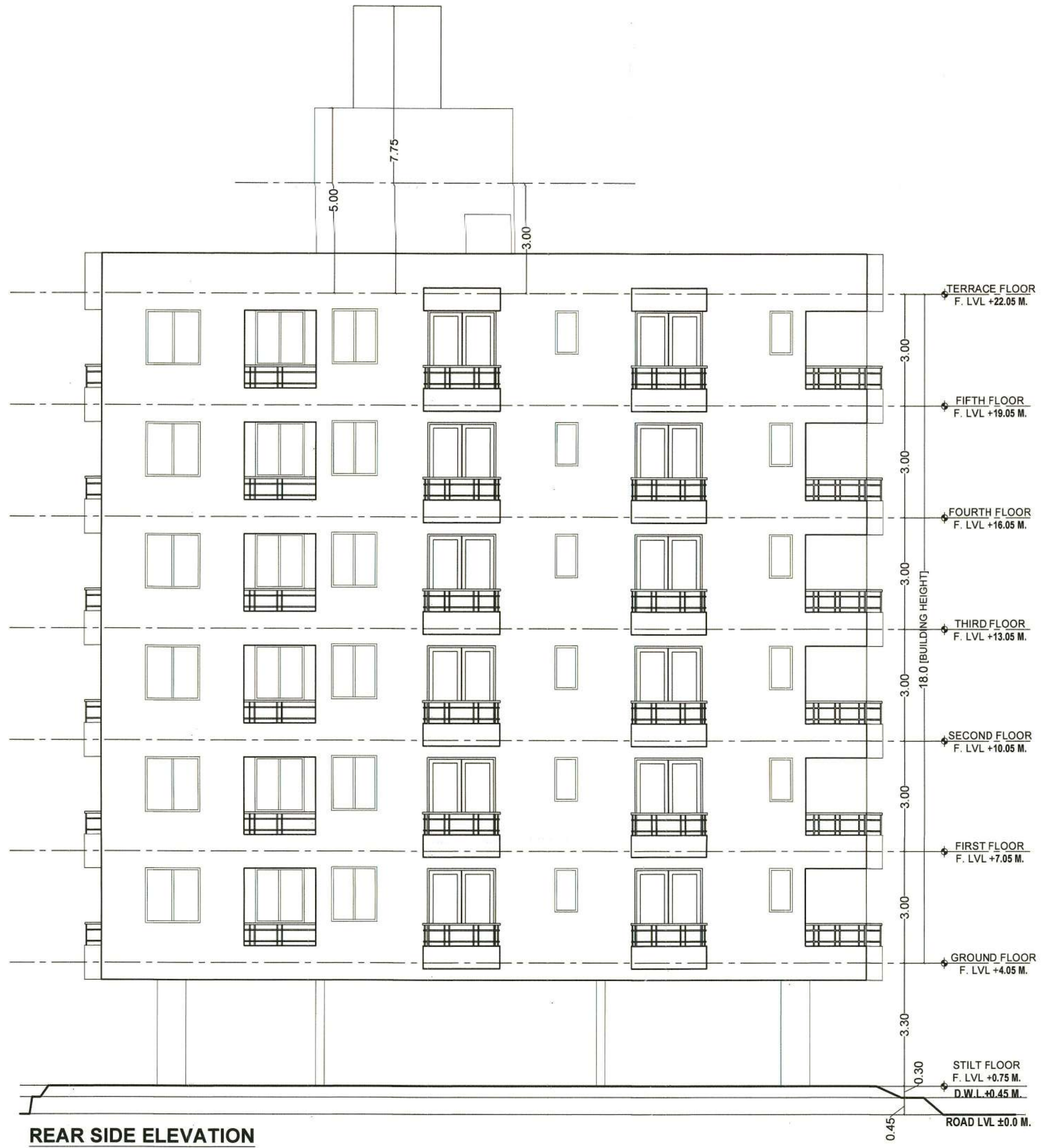

REAR SIDE ELEVATION

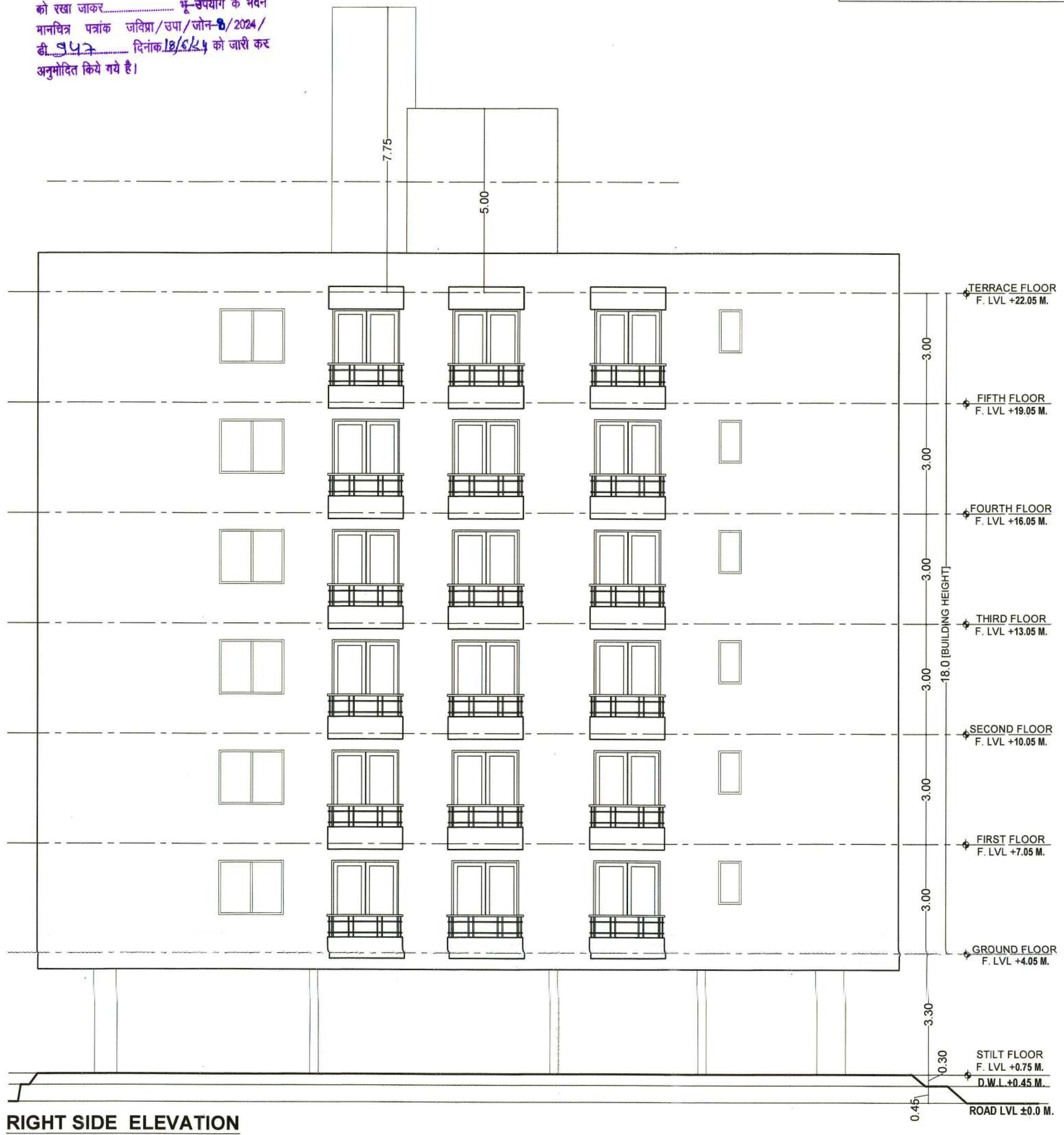

RIGHT SIDE ELEVATION

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PROJECT:-	SCALE:-	1:100	NORTH:-	ARCHITECT:-	OWNER:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO.- 633/627 & 635/630, VILLAGE - GANPATPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR	DATE:-	16-04-2024	N / W / E / S	space edge Architects B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015. TEL. 9314510603, 0141-4062903 ARCHITECT	For SATYAM CONSTRUCTION PROPRIETOR